

25/04/25 पत्रावली पेश हुई। वादीय व और
 से श्रीलक्ष्मी मुखिया के अधिसूचिका
 ने कालनाम पेश किया। वकील
 व वादीय ने उपरोक्त किर्वा प्रती-
 पत्र पेश किया तथा वाड का Withdraw
 प्रती-पत्र के आधार पर खारिज
 किया जाते का निर्णय किया।
 पत्रावली का उपरोक्त निष्पत्ती।
 उपरोक्त शर्त वादीय की वाड
 Withdraw प्रती-पत्र के आधार पर
 खारिज किया जाता है। पत्रा-
 फेराल सुनार हाउस के नम्बर
 से कम है। आदेश पुणे न्यायालय
 में सुनाया गया।

Shukla
 सुकुमार
 Shukla
 सुकुमार

सहायक कलेक्टर
 सांभर लोक (जयपुर)